



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली, (बूंदी)
जिला - बूंदी
जाति प्रमाण - पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.ज.जा.) /22442267935
दिनांक: 10-05-2022
आवेदक का आधार नम्बर: 365599993909
आवेदक/परिवार के मुखिया का जनजाति कार्ड संख्या: 4766328179

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गंवर लाल मीणा पत्र/पुत्री श्री दुर्गा लाल मीणा, माता का नाम - श्रीमती थापू बाई, गांव/नगर ओधन्या, काछोला, हिण्डोली, बूंदी जिला/डिवीजन बूंदी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 9 MINA (9 मीना) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचिका (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अठमान तथा निचोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (टाटा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (टाटा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (पंडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री गंवर लाल मीणा गांव/नगर ओधन्या, काछोला, हिण्डोली, बूंदी जिला / डिवीजन बूंदी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सगान्यतया रहता / रहती है।

नोट

1. यहां प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ वहीं होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं एफ.21(37) एच.जे.ई./कम्प्यू./ई.पी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण पत्र कियोजक द्वारा उपरलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई निवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. जारी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजों जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के निम्ने मान्य है।
6. जारी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोलन संख्या: 220453892310

उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली, बूंदी)

Signature valid

Digitally signed by AMIT
KUMAR CHOUDHARY
Date: 2022.05.10 11:10:22
+05:30
Reason: approved
Location: Rajasthan



EMEGBS 0664758